WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248426
CG-DL-E-29082023-248426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3677]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2023/भाद्र 7, 1945
No. 3677]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2023/BHADRA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

सं. 29/2023

विषयः एस एस कोड 10063090 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3838(अ).—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतत्द्वारा दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 के तहत दी गई छूट में किसी भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर–बासमती सफेद चावल के निर्यात को अनुमति देती हैः

i दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 [सा.आ. 3249 (अ)] को दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 21:57:01 बजे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसलिए दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. 20/2023 [सा.आ. 3249 (अ)] के पैरा 2 (iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः

''जहां गैर–बासमती चावल की खेप दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 21:57:01 बजे से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और सीमा शुल्क की प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है या जहां गैर–बासमती चावल की खेप दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक की इलैक्ट्रोनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि दिनांक 30.10.2023 तक होगी।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

ii. निर्यात शुल्क का दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले भुगतान कर दिया गया हो।

2 संदेह को हटाने के लिए जहां भी दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 [सा.आ. 3249 (अ)] में ''इस अधिसूचना से पहले'' यह शब्द/वाक्यांश आया है इसका अभिप्राय ''दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले'' होगा।

3 इस अधिसूचना का प्रभाव :

दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 के तहत दी गई छूट में गैर–बासमती सफेद चावल का निर्यात अनुमत है जब निर्यात शुल्क का दिनांक 20.07.2023 को 21:57:01 बजे से पहले भुगतान किया गया हो। दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 का पैरा 2 (iii) को दिनांक 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 को लागू करने की तिथि और समय को विनिर्दिष्ट करने हेतु संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/010/एएम–23/ईसी/ई–33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2023

No. 29/2023

Subject: - Amendment in Export Policy of Non-basmati rice under HS Code 10063090.

S.O. 3838(E).— The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby in relaxation of Notification No.20/2023 dated 20th July, 2023 allows export of non-basmati white rice under any of the following conditions:

i. The Notification No.20/2023 [S.O. 3249(E)] dated 20th July, 2023, was published in the Gazette of India at 21:57:01 hours on 20.07.2023. Therefore, Para 2 (iii) of Notification No.20/2023 [S.O. 3249(E)] dated 20th July, 2023 is amended as under:

> "where Non-basmati rice consignment has been handed over to the Customs before 21:57:01 hours on 20.07.2023 and is registered in Customs system or where Non-basmati rice consignment has entered the Customs Station for exportation before 21:57:01 hours on 20.07.2023 and is registered in the electronic systems of the concerned Custodian of the Customs Station with verifiable evidence of date and time stamping of these commodities having entered the Customs Station prior to 21:57:01 hours on 20.07.2023. The period of export shall be upto 30.10.2023.

ii. Export duty is paid before 21:57:01 hours on 20.07.2023.

2. For removal of doubts, wherever the words/phrase "before this Notification" appears in the Notification No.20/2023 [S.O. 3249(E)] dated 20th July, 2023, the same shall mean "before 21:57:01 hours on 20.07.2023"

3. Effect of this Notification:

In relaxation of Notification No.20/2023 dated 20th July, 2023 export of non-basmati white rice is allowed when export duty is paid before 21:57:01 hours on 20.07.2023. Para 2 (iii) of Notification No.20/2023 dated 20th July, 2023 is amended to specify the date and time of effect of the Notification No.20/2023 dated 20th July, 2023.

[F. No. 01/91/171/010/AM23/EC/e- 33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.